झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–24/2019– 3428 **व०प० राँची, दिनांक–** 25/11/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषय :– ग्राम–बोंड़ा, थाना–हंटरगंज–133, खाता नं0–85, प्लॉट नं0–40 पर 132/33 के0 भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपके कार्यालय का पत्रांक–1120 दिनांक–02.11.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–1298 दिनांक–08.07.2019 से प्राप्त मंतव्य की छायाप्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अपना मंतव्य/प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/11/2022

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–24/2019– 3428 व०प०,राँची, दिनांक– 25/11/2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, JUSNL, चतरा को अनुलग्नक के सांथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

25/11/2022

उप परामर्शी।

o/c

(23)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची।

Email : pccf-wildlife@gov.in Phone No. 0651-2481744

पत्रांक.......................... दिनांक...................

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉची।

विषयः– **ग्राम–बोंडा, थाना–हंटरगंज–133, खाता न0–85, प्लॉट न0–40 पर 132/33 KV ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका कार्यालय ज्ञापांक 678 दिनांक 19.06.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि प्रस्ताव में heavy tree- felling सन्निहित है तथा वह भी मुख्यतया सागवान प्रजाति के वृक्षों का। पातन हेतु प्रस्तावित कुल 948 वृक्षों में से 577 सागवान वृक्ष 0-30 cm girth class एवं 266 वृक्ष 31-60 cm girth class के हैं। तात्पर्य यह कि इस स्थल के अधिकांश सागवान वृक्ष अपने growth के प्रारंभिक/मध्यम चरण में हैं और ऐसे stage पर इनका पातन इस बेशकीमती संपदा की विशुद्ध बर्बादी है। इस गंभीर क्षति की प्रतिपूर्ति questionable है।

अतः विषयगत कार्य–प्रयोजनार्थ वैकल्पिक स्थल का चुनाव यथोचित होगा, जहॉ इस प्रकार की बर्बादी एवं अन्य गंभीर दुष्प्रभाव संभावित न हों।

2955
12/07/19

विश्वासभाजन
ह0/–
(पी0.के0.वर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक....1298....**दिनांक**....08/07/19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/07/2019

(पी0.के0.वर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

अपर मुख्य सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं. 2876
09 JUL 2019
झारखण्ड, राँची।

D:\pandey\letters